हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

(सामान्य सेवाएं)

अधिसूचना

दिनांक 5 नवम्बर, 1999

संख्या सा.का.नि. 101/संवि./अनु. 309/99.---हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (सामान्य सेवाएं) अधिसूचना संख्या 523-3 जी.एस.-70/2068, दिनांक 28 फरवरी, 1970 के खण्ड के परन्तुक के साथ पठित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी शक्तितों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्रुप "ग" के एसे पद, जो ग्रुप "ग" के ऐसे कर्मचारियों द्वारा, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को कम से कम 15 वर्ष की अवधि के लिए धारण किए हुए हों तथा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि को वे सेवा में हों, किन्तु तदर्थ आधार पर उनके द्वारा धारण किए जा रहे पदों को शैक्षिणिक योग्यताओं को पूरा न करने के कारण सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित बनाई गई नीतियों के अधीन उनकी सेवाएं पहले नियमित न की जा सकी हों, को एक समय के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर निकाले जाने के लिए विनिर्दिष्ट करते हैं तथा उनकी सेवाएं नियमित कर दी जाएगी, यदि वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करते है, अर्थात् :--

(i) कि उपरोक्त ऐसे तदर्थ कर्मचारी जिन्होंने इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि की पन्द्रह वर्ष की अवधि पूरी कर ली है तथा उस तिथि को सेवा में थे। तथापि संबद्ध कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से छोड़ी गई सेवा अथवा जहां तदर्थ नियुक्ति केवल उसी पद अथवा रिक्ति के विरुद्ध थी जिसके लिए नियमित भर्ती अपेक्षित नहीं थी अथवा को जाने के लिए आशयित नहीं थी अर्थात् अवकाश व्यवस्था अथवा थोड़े समय के लिए रिक्त भरने की उपाशित (कन्डोन) न करके तदर्थ आधार पर की गई सेवा में एक मास की अवधि तक ब्रेक उपमर्षित किया जाए ;

(ii) कि कर्मचारी रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती हुए हों अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा रोजगार कार्यालय में अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद सीधे नियुक्त किये गये हों ;

(iii) कि ऐसे कर्मचारी का कार्य और आचरण समूचे तौर पर अच्छे वर्गीकरण का हो और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां लम्बित न हों ; और

(iv) कि सम्बद्ध विद्यमान प्रवर्गों के पद या रिक्तियां हों।

तथापि अधीनस्थ सेवाएं प्रवरण मण्डल, हरियाणा (अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग) द्वारा भर्ती किये जाने तक जो कर्मचारी तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए हैं, वे इस निर्णय के अधीन नहीं आयेंगे।

2. इस प्रकार से नियमित किए गए तदर्थ कर्मचारियों अर्थात् नियमित आधार पर नियुक्त ग्रुप "ग" कर्मचारियों की ज्येष्ठता इस अधिसूचना के हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निश्चित की जाएगी। ऐसे ग्रुप 'ग' के तदर्थ कर्मचारियों को परस्पर ज्येष्ठता उनके द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यग्रहण कि तिथि के अनुसार निश्चित की जाएगी। यदि ऐसे तदर्थ कर्मचारियों द्वारा तदर्थ आधार पर कार्यग्रहण की तिथि एक ही हो, तो आयु में बड़ा कर्मचारी आयु में छोटे कर्मचारी से ज्येष्ठ होगा। यदि सीधी भर्ती वाले कर्मचारी की नियुक्ति और तदर्थ कर्मचारियों की नियमितता की तिथि एक जैसी हो तो सीधी भर्ती वाला कर्मचारी ज्येष्ठ होगा।

राम एस. वर्मा,

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
GENERAL SERVICES-I

Notification

The 5th November, 1999

No. G. S. R. 101/Const./Art. 309/99.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the proviso to clause 6 of the Haryana Government, General Administration Department (General Services), notification No. 523-3GS-70/2068, dated the 28th January. 1970, the Governor of Haryana hereby, specifies as a one time measure such Group C posts as have been held for a minimum period of fifteen years on the date of publication of this notification in the Haryana Government Gazette, by such Group C employees, who were in service on that day and whose services could not be regularised earlier under the policies framed in this behalf from time to time by the Government because of non-fulfilment of the educational qualifications of the posts being manned by them on ad hoc basis to be taken out of the purview of the Haryana Staff Selection Commission and their services should be regularised if they fulfil conditions, namely :—

(i) that the aforsaid ad hoc employees as have completed fifteen years of service on the date of publication of this notification in the Haryana Government Gazette and were in service on that date. However, break in service rendered on ad hoc basis up to a period of one month may be condoned excluding breaks occurring because of the concerned employee having left service of his own volition on where the ad-hoc appointment was against a post of vacancy for which no regular recruitment was required or intended to be made i. e. leave arrangements or filling up of other short time vacancies, may not be condoned;

(ii) that the employees should have been recruited through the Employment Exchange or directly appointed by the appointing authority after obtaining the non-availability certificate from the Employment Exachange;

(iii) that the work and conduct of such employees shall be of overall good category and no disciplinary proceedings are pending against them; and

(iv) that the posts or vacancies of relevant categories exist.

However, the employees who have been promoted on ad hoc basis pending recruitment by Subordinate Services Selection Board, Haryana (now Haryana Staff Selection Commission) will not be covered under this decision.

2. The seniority of ad hoc employees so regularised vis-a-vis the Group C employees appointed on regular basis shall be determined with effect from the date of publication of this notification in the Haryana Government Gazette. The inter se seniority of such ad-hoc Group C employees shall be determined in accordance with the date of their joining the post on ad hoc basis. If the dates of joining the posts on ad hoc basis of such ad hoc employees are the same, then an older employee shall rank senior to an employee younger in age. If the date of appointment of the direct recruit and the date of regularisation of ad hoc employees are the same, the direct recruit shall be senior.

Sd/-

RAM S. VERMA

Chief Secretary to Government, Haryana.